भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1276
दिनांक 11 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

सोशल मीडिया पर महिलाओं पर टिप्पणी

1276 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को ऐसे कई ट्विटर एकाउन्ट्स की जानकारी है जो लगातार सोशल मीडिया पर महिला को बलात्कार की धमकी देने सहित भयंकर नारी द्वेषी टिप्पणियाँ पोस्ट करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।
(ख) मंत्रालय द्वारा ट्विटर से ऐसे घृणास्पद अकाउन्ट समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और
(ग) ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करने और महिलाओं के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु शिक्षित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : जागरुकता फैलाने, चेतावनियां/एडवाइजरी जारी करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण, लिंग संवेदीकरण पर उचित रूप से शिक्षित करने सहित साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं । ये कदम ऐसे मामलों को रोकने और जांच को तेज़ी देने में सहायता करते हैं । ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर घृणित आचरण और पीछा करने सहित महिलाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी एक समर्पित ई-मेल (complaint-mwcd@gov.in) है ।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में रूप बदलकर धोखाधड़ी (धारा 66 डी), निजता का उल्लंघन (धारा 66 ई), अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67), यौन स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67 ए), यौन स्पष्ट कृत्य में बच्चों के चित्रण वाली सामग्री का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67 बी) इत्यादि के संबंध में प्रावधान हैं । सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 के नियम 3 (2) (ख) मध्यस्थों (सोशल मीडिया प्लेटफार्मो) को कम्प्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को, ट्विटर से ऐसे घृणित एकाउंट्स को निरस्त करने के कदम उठाने सहित ऐसी कोई जानकारी, जो सकल रूप से हानिकारक, उत्पीड़नकारी, निंदनीय, अपमानजनक, अश्लील, अश्लील चित्रण, बाल कामुक, अपमानजनक और दूसरे की निजता के प्रति आक्रमक हो, को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अपडेट या साझा न करने के लिए सूचित करने के दायित्व का प्रावधान है ।

गृह मंत्रालय निर्भया निधि के तहत वित्तपोषित' महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' नामक स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसके तहत बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के चित्रों या यौन स्पष्ट सामग्री, बाल अश्लील सामग्री/बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री से संबंधित शिकायतों की सूचना देने में आम जनता को सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) की शुरुआत की गई है । यह

पोर्टल जनता को महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर ध्यान देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने की सुविधा प्रदान करता है । यह सभी प्रकार के साइबर अपराधों की घटनाओं की सूचना देने के लिए एक केंद्रीयकृत तंत्र है और यह अपराध के अधिकार क्षेत्र और कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, जिला साइबर प्रकोष्ठ या संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिकायत के निपटान का विकेंद्रीकरण करता है । इसके अतिरिक्त, नागरिकों को अपनी भाषा में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने में सहायता करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर 155260 भी कार्यशील बनाया गया है । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को बाल अश्लीलता, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार सामग्री को हटाने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 79 (3) (ख) के तहत मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने कानून प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन करने के लिए मुख्यरूप से उत्तरदायी हैं । संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधीन ये कानून प्रवर्तन तंत्र/एजेंसियां निगरानी करती और ट्विटर एकाउंट से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले, सोशल मीडिया पर महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने सहित नियमित रूप से महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करने वाले अपराधियों, के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करती हैं ।

***